

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(लाईट्स)()डीएलबी/19/22952

दिनांक: 11.11.2019

आदेश

लाईट्स वेबसाईट पर स्वायत्त शासन विभाग के न्यायिक प्रकरणों के इन्द्राज/अपडेशन/अपलोडेशन की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय को एतद्द्वारा राज्य नोडल अधिकारी एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में जारी पूर्व आदेश निरस्त किये जाते हैं।

(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(लाईट्स) ()डीएलबी/19/22953-23161 दिनांक: 11.11.2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग राज., जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. प्रोग्रामर, मॉनिटरिंग शाखा, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव